

मसुरी देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 16-2-87 को प्रालः 11 बजे
से प्राधिकरण -कायालय में हुई बैठकमें कार्यवाही ।

उपस्थिति

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1- | श्री एसएसओ पांगती, आयुक्त गढ़वाल मण्डल | अध्यक्ष |
| 2- | श्री प्रताप सिंह, | उपाध्यक्ष |
| 3- | श्री रामबाबू, विशेष सचिव आवास एवं
नगर विकास विभाग 30प्र0, लखनऊ । | सदस्य |
| 4- | श्री गिरीश चन्द्र गर्ग
अधीक्षक अभियन्ता, 24 वां वृत्त साठनि0वि0,
देहरादून | प्रतिनिधि सदस्य |
| 5- | श्री अशोक सुराना, जिलाधिकारी, देहरादून । | सदस्य |
| 6- | श्री स्व0के शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर स्वस
ग्राम नियोजन विभाग | सदस्य |
| 7- | श्री सन0बी0 सिंह, सामान्य प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून । | सदस्य |
| 8- | श्री आर्डी0पी0सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण
निदेशालय 30प्र0 लखनऊ । | प्रतिनिधि सदस्य |

विशेष आमंत्रित

- | | |
|----|---|
| 1- | श्री दारिका नाथ धवन |
| 2- | श्री एस0पी0 उर्नियाल, सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि
सीमा रोपण, देहरादून । |
| 3- | श्री विनोद शर्मा परगना मजिस्ट्रेट, मसुरी |
| 4- | श्री एस0सी0 दुबे, अधिशासी अधिकारी,
सिटी बोर्ड, देहरादून । |

अन्य उपस्थित

- | | |
|----|--|
| 1- | श्री झुंडी0 चौबे, सचिव विकास प्राधिकरण |
| 2- | श्री आर0पी0 सिंह संयुक्त सचिव, विकास प्राधिकरण |
| 3- | श्री आर0पी0सिंह राणा, सहायक अभियन्ता |
| 4- | श्री के0सल0साह सहायक निदेशक पर्यटन, मसुरी । |

=====000=====

विषय क्रमांक :- 1 :- ग्राम बैठक की कार्यवाही

प्राधिकरण की दिनांक 4-12-86 की बैठक की कार्यवाही पट्टी गढ़ी इसकी प्रति पहले ही सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जा चुकी थी। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में यह संशोधन प्रस्तावित किया कि विषय क्रमांक 171 में सिद्धती बाजार में व्यावसायिक केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में "परेड ग्राउन्ड में स्टेडियम के स्थान पर कम्प्यूनिटी हल ग्राउन्ड शब्द का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि इस स्थल पर स्टेडियम नहीं बल्कि हल ग्राउन्ड बन रहा है। तदनुसार कार्यवाही में संशोधन किया गया और दि० 4-12-86 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

दि० 4-12-86 की बैठक में लिये गये निर्णय पर प्रस्तुत अनुपालन आख्या पट्टी गढ़ी और निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1- चूंकि सब रजिस्ट्रार द्वारा सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भूमि का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जिलाधिकारी ने बताया कि आई०जी० एंड रजिस्ट्रेशन 3090 से उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है कि शेल डीड के पंजीकरण पर रोक लगाने के लिये सब रजिस्ट्रार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भी बताया गया कि कृषिवाधीन सम्पत्ति के भेरिट्स की जांच करने के लिये सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन सक्ट के अन्तर्गत बाध्य नहीं है। अतः शासन को एक स्वयं स्फुट संदर्भ भेजा जाय जिसमें शासन से यह निर्देश प्राप्त किये जाय कि अरबन सीलिंग सक्ट की धारा 26 और 27 में दिए गये प्राविधानों को किस प्रकार परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी से भी जांच करने को कहा गया था। उनकी जांच आख्या शीघ्र प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

3- प्राधिकरण को लक्ष्मी रोड पर सीलिंग से सरप्लस भूमि प्राप्त हो रही है उसमें प्राधिकरण के अधिकारियों के निवास का निर्माण किया जाय।

4- गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने और उसके सब सुनिश्चित उपयोग की योजना के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या प्राप्त नहीं हो पायी। इसे प्राप्त कर अगली बैठक में रखा जाय, और इसके साथ ही गांव सभाओं की प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ने वाली खुली भूमि का भी विवरण मांगा जाय और उसका एक ले आउट बनाया जाय ताकि आगे इसी ले आउट के अनुसार सुनियोजित रूप से भवनो का निर्माण हो।

5- निरंजपुर और राजपुर रोड में भूमि अध्याधिकारी कार्यवाही में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि इस विषय में भूमि अध्याधिकारी के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करवाये, और संयुक्त निर्देशक नगर भूमि सीमा रोपण से भी शीघ्र अनुरोध किया गया कि वे इस भूमि के सम्बन्ध में चल

30

रहे सी लिंग के मामलों का शीघ्र निस्तारण कर दें।

6- ढूँँक डालनवाला क्षेत्र का जोनल प्लान नगर नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है अतः इस क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व सहयुक्त नगर नियोजक की भी आशय प्राप्त कर ली जाय और जो मुख् जो मानचित्र अब तक स्वीकृत हो चुके हैं उनकी एक प्रति उन्हें भेज दी जाय। जोनल प्लान तीन माह में बना लिया जाय ।

7- यदि प्राधिकरण के पूर्व निर्णय के अनुसार सनी होटल द्वारा परिवर्तन शूलक या विकास शूलक 10 दिन के अन्दर जमा नहीं किया जाता है तो उनका मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जाय ।

8- ग्राम कांढली के गाटा सं0 658 आदि का भू उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सचिव, श्री द्वारा काया धवन व सहयुक्त नियोजक द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया जाय। तहसीलदार देहरादून भी इस निरीक्षण में साथ में रहेंगे व राजस्व सम्बन्धी सभस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगे ।

विषय क्रमांक:-2:- प्राधिकरण की दि0 31-1-87 तक काय की पुनति

प्राधिकरण के द्वारा किये जा रहे काय की 31-1-87 तक की पुनति का अवलोकन किया गया। तिव्वती बाजार व्यावसायिक केन्द्र योजना के सम्बन्ध में यह निर्देशा दिशे गये कि सबसे ऊपर की मंजिल में दाहिनी ओर में दो कोरों के जो हाल अभी नीलागरी से अलग रहे गये हैं उन्हें प्राधिकरण द्वारा ही अपने उपयोग में लाया जाय ।

अनधिकृत निर्माण के मामलों के निस्तारण पुनति में सुधार हुआ है पर अवशेष मामलों की संख्या अभी अधिक पायी गयी है। यह निर्देशा दिशे गये कि इन मामलों का निस्तारण शीघ्र किया जाय ।

विषय क्रमांक :-3:- दून घाटी काधारी सहकारी आवास समिति के पक्ष में गुरु अजबपुर कला में भूमि का आवंटन ।

यह निर्णय लिया गया कि 20 एकड़ भूमि दून घाटी काधारी सहकारी आवास समिति को खेण्डा नोट की प्रस्तावित शर्तों से आवंटित किया जाय परन्तु उसी भूमि का मूल्य 1,00,000 रु0 एक लाख रु0. प्रति एकड़ की दर से तीन माह के अन्दर जमा करा लिया जाय। इसके

सम्ब

1/20

क्रमांक:-4/-

साथ ही अवशेष सात एकड़ भूमि ~~में~~ स्थित वर्ग आवास योजना के निर्माण हेतु पुनः पंजीकरण खोला जाय ।

विषय क्रमांक :-4:- नगर महायोजना में सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई
=====

इस प्रस्ताव ^{पर} शैक्षणिक सहमति हुई कि जनरल प्रहादेव सिंह मार्ग तथा राजपुर मार्ग की चौड़ाई सड़क के एक तरफ ही न बढ़ायी जाय बल्कि सड़क के दोनों तरफ नहर को छोड़कर भी बढ़ायी जाय और इस प्रकार दो सड़कों के बीच में नहर हो जाय । तदनुसार सड़क की दोनों तरफ होने वाली चौड़ाई को निर्धारित करने के लिए उपाध्यक्ष, अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अधीक्षण अभियन्ता सिवाई विभाग की सभिक्ति स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

विषय क्रमांक :-5:- भूसूरी में कार पाकिंग निर्माण परियोजना का अनुमोदन
अनुमोदन :
=====

इस संशोधन के साथ कार पाकिंग निर्माण परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया कि नीचे की तरफ गोदाम न बनाया जाय क्योंकि ट्रकों के आवागमन से एक और समस्या उत्पन्न हो जायेगी । गोदाम के स्थान के बीच भी कार पाकिंग की व्यवस्था की जाय। तदनुसार डि डिजायन संशोधित करके सद्युक्त नगर नियोजन व अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ~~से भी निवेदन किया गया~~ अधीक्षण प्रहरीय से स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

विषय क्रमांक :-6:- नगर महायोजना में कांचली रोड़ की प्रस्तावित चौड़ाई :
=====

यह निर्णय हुआ कि चूंकि कांचली रोड के पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क अब भारतीय सैन्य अकादमी के क्षेत्र में पड़ जाती है और भारतीय सैन्य अकादमी ने अपनी सीमा पर चाहरदिवारी बनाकर उसे बन्द कर दिया है, अतः इस मार्ग को अब चौड़ा न किया जाय और इसके स्थान पर ~~एक~~ ^{31.5} एक वैकल्पिक मार्ग चौड़ा करने की संस्तुति अगली

32

बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

विषय क्रमांक :-7:- तिब्बती बाजार परियोजना :-
=====

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राधिकरण द्वारा जो वसूली में तीन मंजिले टुकानों बनायी गयी है उनको नीलामी द्वारा आवंटित किया जायेगा और इस स्थान पर पहले से जमीन पर बैठने वाले निर्वल वर्ष के व्यक्तियों, तिब्बतियों और अन्य स्थानों से हटाये गये व्यक्तियों के लिए 120 छोटी टुकानों के निर्माण से इस स्थान पर अनाधिकृत रूप से स्थापित बाजार व सड़क में व्यवधान की समस्या हल हो जायेगी, यह निर्णय लिया गया कि अवशेष 120 छोटी टुकानों 6' x 8' के निर्माण किया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी बताया गया कि उपाध्यक्ष/सचिव श्री द्वारिका नाथ धवन श्री हीरा सिंह विक्ट विधायक द्वारा भी इस स्थल का निरीक्षण किया गया और उन्होंने यह राय दी थी कि इन छोटी टुकानों के निर्माण से यह समस्या हल हो जायेगी। श्री द्वारिका नाथ धवन ने भी इस बात की पुष्टि की और इस बात से सहमत प्रकट की श्री कि वहां अवशेष टुकानों का निर्माण आवश्यक है ताकि इनका आवंटन इस स्थल पर कई वर्षों से बैठे आ रहे व्यक्तियों को किया जा सके और गार्ड में अन्य होने वाले कन्वेन्सन्स को हटाया जाय। निर्णय कार्य द्वारा अन्त में सर्व उद्युक्त निरीक्षण अन्तर्गत के आन्विलिखित करना विना आदि।

विषय क्रमांक :-8:- नौन कन्फ्रीमिग लेण्ड यज उपविधियों
=====

श्री द्वारिका नाथ धवन ने सुझाव दिया कि उपविधियों को अंतिम रूप देने से पहले उनका प्रकाशन किया जाना चाहिए ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो उस पर फिर विचार किया जा सके। उन्हें बताया गया कि उपविधियों के सम्बन्ध में यह कोई कानूनी प्राविधान नहीं है और प्राधिकरण द्वारा उपविधियों का अनुमोदन हो जाने के बाद शासन स्तर पर उनका अनुमोदन होने के उपरान्त उन्हें जलद में प्रकाशित किया जाता है। फिर भी श्री द्वारिका नाथ धवन के सुझाव पर प्रस्तावित उपविधियों का प्रारूप तैयार करने के लिए तन्मनालक्षित सदस्यों की सफाई बना दी गया ।

सचिव, विकास प्राधिकरण ।

3/2/

क्रमांक :-6/-

- 2- श्री दारिका नाथ धवन ।
 - 3- सदयुक्त नियोजक नगर नियोजन विभाग
 - 4- जिला सहाकारी वकील भारत / एवम् वेनल में नियुक्त कीई वकील ।
- उपरोक्त संपिपति की आख्या अगली बेठक में प्रस्तुत की जाय और तब इन प्रस्तावित उपविधियों पर निर्णय लिया जायेगा ।

विषय क्रमांक :- 9 :- नगरपालिका मसूरी तथा देहरादून के कर्मचारियों को नवल भूमि की देख-रेख के लिए विशेष भत्ता ।

=====

संकि नवल से सम्बन्धित कार्य प्राधिकरण के लिये नया और जटिल कार्य है अतः कुछ समय तक नगरपालिका मसूरी व देहरादून के कर्मचारियों की सहायता की आवश्यकता होगी । यह निर्णय हुआ कि मसूरी नगरपालिका के जिस लिपिक के पास नवल सम्पत्ति का कार्य भार है उसे इस कार्य को करते रहने के लिए 50 मघास ₹0 प्रति माह मानदेय दिया जाय और नगरपालिका देहरादून के कर अधीक्षक को नवल से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य करने के लिये 75/- ₹0 तथा कर विभाग के मुख्य लिपिक को ₹050/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाय ।

विषय क्रमांक :- 10 :- गुन्ठखुपानी निन्धर्मशरवा योजना

प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत 79.50 लाख ₹0 की योजना का अवलोकन किया गया। यह निर्णय हुआ कि एक मीटर के झण्डरवल पर इस स्थान का कन्टूर भेग भी बनाया जाय और अद्यय महोदय भी इस स्थल का निरीक्षण कर लें। यह भी निर्णय हुआ कि किसी एकपट्टे कन्सलटेन्ट्स द्वारा भी इस योजना पर राय प्राप्त कर ली जाय और इस उद्देश्य हेतु श्रम कन्सलटेन्सी प्राप्त करने हेतु अधिक्त किया गया व ₹0 25000/= तक की धनराशि व्यय करने की स्वीकृति दी गयी।

/

क्रमांक :- 7/-

सिद्धेश्वर श्रमश्रम

विषय क्रमांक:-11:- श्री शिवदत्त नौटियाल का मसूरी में होटल

निर्माण हेतु आवेदन मानचित्र ।

=====

इस विषय को अनुपूरक विषय क्रमांक 141 के साथ लिया गया क्योंकि अनुपूरक विषय क्रमांक 141 में मसूरी नगर की महायोजना बनने की स्थिति में तब तक यहाँ मानचित्र स्वीकृत करने की नीति के सम्बन्ध में माग निर्देशनों की अपेक्षा की गयी। इस विषय पर कुछ सदस्यों की यह राय थी कि जब तक मसूरी श्रृंख में विभिन्न क्षेत्रों के भू उपयोग निर्धारित न हो जायं या मास्टर प्लान न बन जाय तब तक वहाँ कोई मानचित्र स्वीकृत ही न किया जाय ।

इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति यह बतायी गयी कि मास्टर प्लान के बनने तक मानचित्र स्वीकृति पूर्णतया रोक देनी भी उचित नहीं होगी क्योंकि मास्टर प्लान को अन्तिम रूप ~~प्रदान करने में~~ समय लगेगा। यह बताया गया कि मास्टर प्लान न होने की स्थिति में भी वर्तमान वाइलोज तथा नगरपालिका वाइलोज और रेगुलेशनस आफ विन्डिंग आरेरेशनस एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये डाइरेक्शन्स को ध्यान में रखते हुए भी मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। श्री द्वारिका नाथ धनवन ने भी इस बात पर बल दिया कि जो श्रृंख मानचित्र इन वाइलोज व डाइरेक्शन्स का उल्लंघन नहीं करते हो उन्हें स्वीकृत किया जाना चाहिये। इस दृष्टि से उन्होंने श्री शिव दत्त नौटियाल द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण की स्वीकृति पर भी बल दिया। इस विषय पर ^{अध्यक्ष} वरिष्ठ निम्नलिखित निर्णय लिये गये ।

- 1- वर्तमान भवनों में परिवर्तन तथा परिवर्धन की अनुमति दे दी जाय चाहे कि ~~वर्तमान भवनों~~ ^{वर्तमान भवनों} शूला रहे। सदयुक्त नगर नियोजक की आह्वान भी ऐसे मामलों में प्राप्त कर ली जाय ।
- 2- मसूरी के स्थायी निवासियों द्वारा अपने निजी आवास के लिये वर्तमान वाइलोज व इन डाइरेक्शन्स के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत भवनों के निर्माण की स्वीकृति सदयुक्त नियोजक की सहमति के उपरान्त दे दी जाये,

32

(3) ^{उत्त} बिल्ट अप क्षेत्रों में ही नव निमाणा की अनुमति दी जाय जिसमें 45000 अधिकतम अधिक भवन बने हुए है क्योंकि ऐसे क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग परिवर्तित होना सम्भव नहीं है परन्तु सड्युक्त नगर नियोजक द्वारा पहले ऐसे बिल्ट अप क्षेत्रों की सूची बना दी जाय और उन क्षेत्रों को मानचित्र में दिखाकर कर दिया जाय ।

4- व्यावसायिक उपयोग के भवनों के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले मानचित्रों पर सड्युक्त नगर नियोजक से भी स्थल व मानचित्र का परीक्षण करा लिया जाय ताकि वे देख सकें कि जिस स्थल पर निमाणा किया जाना प्रस्तावित है उसका नगर महायोजना में क्या उपयोग प्रस्तावित होगा। श्री नौदियाल द्वारा भाल रोड पर होटल निमाणा के विषय पर ~~द्वारा~~ विचार किया गया और यह निर्णय हुआ कि उपरोक्त निर्णयों के अनुसार इस स्थल पर ^{नौ दियाल व} मानचित्र का ^{परिरीक्षण} व मानचित्र का परीक्षण सड्युक्त नगर नियोजक द्वारा किया जाय। यह भी निर्णय हुआ कि इस प्रकार के मामलों में सड्युक्त नगर नियोजक प्रस्तावित ^{वा} वर्तमान भू उपयोग के अलावा जनसंख्या के घनत्व का भी परीक्षण करेंगे ।

विषय क्रमांक :-12:- होटल सकता के निमाणा स्थल का अनुमोदन
=====

जिस स्थान पर इस होटल का निमाणा प्रस्तावित है उसके सम्बन्ध में एक भिकायत कर्ता द्वारा सधम अधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण के दिनांक 20-12-83 के सिम्बरसि निर्णय की एक प्रतिलिपि भेजी गयी जिससे एकट होता है कि इस स्थल पर 6585 वर्गमीटर भूमि सरदास घोषित की गयी है और 3075 वर्ग मीटर भूमि को कृषि भूमि घोषित किया गया है। मानचित्र प्रस्तुत कर्ता द्वारा सीलिंग विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निर्णय हुआ कि इस मामले में सीलिंग विभाग से पुनः जांच-पड़ताल करा ली जाय और अगली बैठक में आख्या प्रस्तुत की जाय। यह भी निर्णय हुआ कि इसी स्थल पर जिस दूसरे होटल के बारे में प्राधिकरण की पिछली बैठक में सड्युक्त एकट की गयी थी उससे सम्बन्धित मानचित्र को भी अभी स्वीकृत न किया जाय ।

विषय क्रमांक :- 13 :- 45, राजपुर रोड के निकट के 0पी0 होटल का निर्माण

इस स्थल के सापेक्ष एक कन्या झण्डर कावेज पाया गया और इस स्थल तक पहुँचने वाली सड़क 60 फुट से कम चौड़ी पायी गयी। चूंकि इस स्थल से लगा हुआ मुख्य राजपुर मार्ग 60 फुट से भी अधिक चौड़ा है अतः इस स्थल को होटल निर्माण के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त भी नहीं कहा जा सकता है। अतः यह निर्णय हुआ कि सदयुक्त नगर नियोजक व उपप्राध्यापक प्रस्ताव इस स्थल का संशुद्ध निर्रीक्षण करें। सदयुक्त नगर नियोजक इस स्थल की निर्रीक्षण आख्या उपप्राध्यापक को प्रस्तुत करेंगे और तदुपरान्त उपप्राध्यापक द्वारा समुचित आदेश पारित किया जाय।

विषय क्रमांक :- 14 :- 26/2, इन्दर रोड होटल झण्डर नेशनल के निर्माण की स्वीकृति।

प्राधिकरण द्वारा इस बात पर आपत्ति प्रकट की गयी कि पहले आवासीय उपयोग हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करके अब उसका होटल के रूप में उपयोग करने के लिए अनुमति मांगी जा रही है। यह निर्णय हुआ कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र आवेदनकर्ता से प्राप्त किया जाय और फिर ^{आवक} स्वीकृत मानचित्र ^{आवक} प्रस्तावित मानचित्र से तुलना करके तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाय जिससे यह भी स्पष्ट हो कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र से निर्माण भिन्न है या नहीं। अर्थात् बंधक में आख्या प्रस्तुत की जाय।

विषय क्रमांक :- 15 :- होटल भवला के निर्माण स्थल का अनुमोदन।

यह स्थल होटल निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया परन्तु चूंकि आवेदनकर्ता द्वारा दी विभिन्न व्यवितयो से 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय की गयी है अतः सीलिंग विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना लाया जाय ताकि यह पता लग सके कि यह भूमि सीलिंग से प्रभावित तो नहीं है। ^{13 फुट से अधिक} ^{अनुमति} ^{देनी}

विषय क्रमांक :- 16 :- टून वेली आसीरस को आगरेडिबल चक्र सिंगी सोसाइटी का भू विस्थापन परिवर्तन।

125

विषय क्रमांक:-16:- दून बेली आफीसर्स को आपरेटिव हाऊसिंग
सोसाइटी का भू विन्यास परिवर्तन ।
=====

यह निर्णय हुआ कि दून बेली आफीसर्स हाऊसिंग को आपरेटिव सोसाइटी
बसन्त विहार स्थित प्ले 118 चकराता रोड के किनारे व्यावसायिक
उपयोग के लिए छोड़ी गई भूमि को आवासीय उपयोग में लाने की अनुमति
दी जाय परन्तु चकराता रोड की मास्टर प्लान में प्रस्तावित चौड़ाई
के भाग को छोड़ना होगा और इसका प्रस्तावित ले आउट प्राधिकरण
के सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना होगा ।

प्ले 121 इस कालोनी में दो प्लॉटों में कुछ पाकों का विकास प्राधिकरण
द्वारा कर दिया जाय और सन्मिति से सम्पर्क कर ऐसे पाकों का चयन
कर लिया जाय ।

विषय क्रमांक :-17:- मुख्य शीर्षक अधिष्ठान के अन्तर्गत स्वीकृत बजट में
रूक उपशीर्षक से दूसरे उपशीर्षक में परिवर्तन स्वीकार
करते हुए बजट में आर्थिक संशोधन ।
=====

भवन अनुरध्णा, फनीधर रघु विज्ञापन मद के बजट में नियत
धनराशि से अधिक हुये व्यय को ~~अनुमोदन~~ ^{अनुमोदन} परिस्थितियों को देखते हुए
अनुमोदन प्रदान किया गया। भवन अनुरध्णा मद में 60000/= से बढ़ाकर
सीमा 70,000 रुपये की गयी, फनीधर मद में यह सीमा 25 हजार से
बढ़ाकर 30 हजार की गयी और विज्ञापन मद में यह सीमा 50 हजार
से बढ़ाकर 65 हजार की गयी।

विषय क्रमांक :-18:- प्राधिकरण का वर्ष 1987-88 का बजट ।
=====

- वर्ष 1987-88 का प्रस्तावित बजट निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया।
- 1- विषय बैंक से प्राप्त होने की संभावना से सम्बन्धित ऋण की धनराशि न ~~किया~~ ^{रखी} जाय ।
- 2- अन्य बैंकों से प्राप्त होने वाली आय भी 20 लाख रुपये रखी जाय ।
- 3- तिब्बती मार्केट की दुकानों की निष्पत्ति व प्रतिभूतियों से आय

32

लाभ

123

129

यह निम्निय हुआ कि सदयुक्त नगर नियोजक इस स्थल का निरीक्षण कर
द्वैधिक, जनसंख्या का घनत्व, वर्तमान टुकानों की संख्या को देखते हुए इस
बिन्दु पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे कि यहाँ कितनी टुकानों की आवश्यकता
है। इसके अलावा चूंकि भूमि का क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर से अधिक है अतः
सीनिंग विभाग से भी अनापत्ति प्रमाणा-पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जाय ।

अनुपूरक विषय क्रमांक :-3:- नवरत्न इण्टर प्राइजिज द्वारा मसूरी में बनाने
गये अपार्टीन्ट के ऊपर लगाये गये भवन भूत्क पर,
पुनीविचार :-
=====

नवरत्न इण्टरप्राइजिज को पहले 18912=62 भूत्क लगाया
गया जिसका बाद में प्राधिकरण की दि० 21-11-85 की बैठक में लिये गये
निम्निय ~~के~~ ^{के} ~~बढ़ाकर~~ ^{रु०} 191129/= कर दिया गया। नवरत्न इण्टरप्राइजिज
द्वारा इस भवन भूत्क को कम करने की अपील की गयी है। इस मामले में
पिछली पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए यह निम्निय लिया गया कि भवन
भूत्क कम नहीं किया जा सकता है। इनके द्वारा दगे ब्लॉकों में निम्निय
के लिए जो भवनविषय प्रस्तुत किया गया है उन पर विषय क्रमांक 1111 में लिये
गये निम्निय के अनुसार तथा विचार हो सकता है जबकि इस निर्धारित भवन
भूत्क को जमा कर दें ।

अनुपूरक विषय क्रमांक :-4:- मुख्य विषय क्रमांक 1111 के साथ विचारित है

अनुपूरक विषय क्रमांक :-5:- लन्डौर के निकट बस अड्डा स्थित किया जाना ।
=====

मसूरी में यालायात की समस्या को देखते हुए यह निम्निय
हुआ कि लन्डौर ~~में~~ ^{में} प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तुत रु० 6, 37, 000/= के आण्टानन
के अनुसार बस अड्डा/कार पार्क का निर्माण किया जाय। तथा इस स्थल के
साइट प्लान/की प्लान की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ सदयुक्त नियोजक को भेज
दी जाय ।

अनुपूरक विषय क्रमांक :- 6 :- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षण
प्रयोज्यता हेतु स्वीकृति की अनुमति ।
=====

गत बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेस कोर्स
आफीसिस कालोनी में परीक्षण प्रयोज्यता बनाने हेतु अनुमति मांगी गयी थी
जो प्राधिकरण द्वारा ~~निरस्त~~ ^{निरस्त} कर दी गयी थी । 32
क्रमांक : 12/

आज की बैठक में अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बताया कि यह प्रयोगशाला अत्याधिक महत्वपूर्ण है तथा पूरे गढ़वाल मंडल में निर्माणा कार्यो की गुणवत्ता सुधारने के प्रयोजन से स्थापित की जानी है। अतः इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए यदि यहाँ पर स्वीकृति दिया जाना संभव न हो तो कुआं बाला में सार्वजनिक के भण्डार के समीप निर्माण करने हेतु अनुमति दी जाय ।

जिलाधिकारी ने बताया कि रेल कोस आवासीय कालोनी में प्रयोगशाला की अनुमति दिया जाना संभव नहीं होगा ।

प्राधिकरण की बैठक में वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा बताया गया कि स्थलकाल परत युव जिन में प्राधिकरण की अनुमति से स्वीकृति दी जा सकती है। अतः ~~अनुमति~~ हुआ कि स्थल का सत्यापन करके यह पुष्टि कर ली जाय की स्थल "बन" भू उपयोग में है अथवा "कृषि" भू उपयोग में है ~~यदि~~ कृषि भू उपयोग में स्थल है तो उपाध्यक्ष द्वारा अनुमति स्वीकृति दिये जाने के विषय निर्णय व आदेश जारी कर दिया जाय ।

सरवि,
गसरी-देहरादून विकास
प्राधिकरण, देहरादून ।

[Handwritten Signature]

उपाध्यक्ष,
गसरी-देहरादून विकास
प्राधिकरण, देहरादून 2

[Handwritten Signature]

अध्यक्ष,
गसरी-देहरादून विकास
प्राधिकरण, देहरादून ।

[Handwritten Signature]

अधीक्षकी प्रो. वि. ए. ए.

[Handwritten Signature]

30.2.81

30-3-87

सर्विस

231-50

10-00

2-00

0-50

0-00

5-00

5-00

0-00

50

00

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0